पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के अन्तर्गत सिविक एमेनिटी भवन के निर्माण कार्य (सी0एस0आर0 मद एन0एच0पी0सी0 के अन्तर्गत) की योजना के आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे :–

1. श्रीमती मनीषा पंवार, अपर मुख्य सचिव, नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री दिलीप जावलकर, सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. डॉ0 वी0 षणमुगम, सचिव (प्रभारी), नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री प्रमोद कुमार, प्रभारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री अयाज अहमद, मुख्य अभियन्ता, पौडी गढवाल।
6. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
7. श्री विनोद कुमार, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8. श्री धर्मेश गंगानी, आई0एन0आई0 डिजाइन स्टूडियो, अहमदाबाद।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :– श्री बद्रीनाथ धाम क्षेत्रान्तर्गत विगत वर्षो से धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या में अत्यधिक एवं अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, जिसके फलस्वरूप तीर्थ यात्रियों एवं श्री बद्रीनाथ धाम के अन्तर्गत निवासरत अन्य जनमानस की सुविधा के दृष्टिगत स्थानीय उत्पादों को प्रत्सोहित करने हेतु हाट (बाजार), जनमानस तथा यात्रियों एवं अन्य विशिष्ट तथा अतिविशिष्टि महानुभावों की सुविधा हेतु पेयजल एवं शौचालय हेतु सिविक एमिनिटी भवन का निर्माण कार्य एन0एच0पी0सी0 से सी0एस0आर0 मद में प्राप्त धनराशि के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इसके निर्माण से स्थानीय जनमानस तीर्थ यात्रियों एवं समिति को लाभ प्राप्त होगा।
2. **भूमि की उपलब्धता** :– विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना हेतु भूमि उपलब्ध है।
3. **योजना प्राविधान** :– परियोजना में निम्न प्राविधान किये गये है :–

3.1 भवन को तीन मंजिल में बनाये जाने का प्राविधान किया गया है। भवन का कुर्सी क्षेत्रफल 2305.51 वर्ग मीटर है।

3.2 भवन में दो सर्विस रूम, 12 कियोस्क (Shop), दो वाटर ए0टी0एम0, शौचालय, 2 नं0 वेटिंगरूम तथा वी0आई0पी0 लॉन्ज का प्राविधान किया गया है।

3.3 भवन में एच0वी0ए0सी0 एवं अग्नि सुरक्षा का प्राविधान किया गया है।

4. **व्यय वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुतिकरण हेतु राज्य योजना आयोग का अभिमतः–**

4.1 कार्य के सम्बन्ध में विभागीय समिति की बैठक सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29.09.2021 को सम्पन्न हुई, जिसमें योजना को व्यय वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गयी है।

4.2 योजना कार्यो की Architectural डिजाइन एवं ड्राइंग तथा डी0पी0आर0 सम्बन्धी कार्य INI Design Studio Pvt. Ltd., Ahmedabad एवं स्ट्रक्चरल डिजाइन Genstru Consultant Pvt. Ltd, Pune द्वारा किया गया है।

4.3 भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/लोक निर्माण विभाग की डी0एस0आर0/एस0ओ0आर0 की दरें एवं विशिष्टियां ली गयी है।

4.4 योजना कार्य से सम्बन्धित ड्राइंग एवं डिजाइन किसी अधिकृत संस्था से वैट नहीं कराया गया है। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राविधानित कार्यो की ड्राइंग एवं

क्रमशः पृष्ठ–2/–

Gaut

डिजाइन वैट कराते हुए सक्षम स्तर से अवश्य अनुमोदित कराया जाय।

4.5 विद्युत उपकरणों के सम्बन्ध में Cost Effectiveness and Energy efficient प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा।

4.6 भवन में विद्युतीकरण, Plumbing, HAVC के रख–रखाव हेतु उक्त की लागत का 7.5 प्रतिशत धनराशि 5 वर्षो हेतु ली गयी है जबकि कार्य पूर्ण होने पर रख–रखाव हेतु संस्था निर्धारित न होने के दृष्टिगत रख–रखाव हेतु प्रस्तावित धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जानी आवश्यक है।

4.7 प्रस्तावित योजना के कार्य का Geo Investigation का कार्य Technical consultancy Service, Dehradun द्वारा कराया गया है जिसके अनुसार फुटिंग हेतु 2.00 मीटर एवं 2.50 मीटर गहराई में क्रमश– 20 एवं 25 टन प्रति वर्ग मीटर है।

4.8 परियोजना की कुल रू0 1573.87 लाख धनराशि में से रू0 278.20 लाख के कार्यो हेतु विभागीय दर न होने के कारण अधिप्राप्ति की जानी है। अतः इस हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2015 (संशोधित 2017 एवं 2018) के अनुसार कार्यवाही की जानी आवश्यक है।

4.9 प्रस्तावित योजना की लागत का विवरण निम्नानुसार है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	Particular	DSR	SOR	NSI	NSI (Dept.)
	Total Cost	936.72	-	252.51	0.80
	Cost Index @33%	309.12			
	Add 3 % contingency & 1% QC	49.83	-	10.10	
	Add Cost of O&M (7.5%) for 5 year (on electrical, plumbing, HVAC etc)			14.79	
	Total	**1295.67**		**277.40**	**0.80**
	Grand Total		**1573.87**		

परियोजना की कुल लागत :– रू0 1573.87 लाख

5. **व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :–**

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यो को निर्धारित मानकों के अनुसार क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये।

सचिव, पर्यटन विभाग के अनुरोध पर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त के आलोक में रू0 1875.00 लाख {रू0 1573.87 लाख (प्रस्तर–4.9 के अनुसार) + रू0 301.13 लाख (Smart Infrastructure, Wall Murals एवं Lighting इत्यादि हेतु)} **को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया** :–

5.1 Smart Infrastructure, Wall Murals एवं Lighting हेतु रू0 301.13 लाख की धनराशि Lumpsum सम्मिलित की गयी है जिसे टी0ए0सी0 नियोजन विभाग द्वारा मदवार विवरण /एस0ओ0आर0, डी0एस0आर0 में दरे न होने के कारण अनुमन्य नहीं किया गया है।

उक्त के क्रम में Smart Infrastructure, Wall Murals एवं Lighting हेतु प्रशासनिक विभाग के स्तर पर निविदा कार्यवाही के उपरान्त सम्यक् वित्तीय प्रस्ताव पर नियोजन विभाग से टी0ए0सी0 परीक्षण कराते हुए नियमानुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ–3/–

5.2 योजना क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों (यथा एन0जी0टी0, Building Byelaws आदि) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5.3 कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5.4 निर्माण कार्य में स्ट्रक्चरल एवं Reinforce Steel हेतु शत–प्रतिशत प्राइमरी स्टील का ही प्रयोग किया जाय।

5.5 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट तथा सरिया, स्ट्रक्चरल स्टील एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का आई0एस0 कोड के मानकों के अनुसार समय–समय पर NABL Accredited प्रयोगशाला में परीक्षण अवश्य कराया जाय।

5.6 निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

5.7 निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ड्राइंग एवं डिजाइन सक्षम अधिकारी से अवश्य अनुमोदित करायी जाय तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय आवश्यक मदों का ही समावेश किया जाय।

5.8 आगणन में डी0एस0आर0 2018 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

5.9 विभागीय दरों के अतिरिक्त जो कार्य नॉन शिड्यूल मदों के अन्तर्गत कराये जाने है उनकी अधिप्राप्ति एवं क्रियान्वयन हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अक्षरस पालन सुनिश्चित किया जाय।

5.10 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

5.11 योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness एवं Energy efficiency के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5.12 भवन में विद्युतीकरण, Plumbing, HAVC के रख–रखाव में 05 वर्षो के अनुरक्षण हेतु 7.50 प्रतिशत धनराशि का प्राविधान किया गया है। अनुरक्षण हेतु Service Level Parameter निर्धारित करते हुए निविदा में उनका समावेश सुनिश्चित किया जाय तथा अनुबन्ध में अनुरक्षण के सम्बन्ध में Graded Penalty के प्राविधान का अवश्य समावेश किया जाय।

5.13 भवन में स्वतः स्वच्छता की निरन्तर व्यवस्था हेतु प्राविधान अवश्य किये जाय।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1–5.13 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव

क्रमशः पृष्ठ–4/–

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या 1311 /762/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/पर्यटन/2021–22
देहरादूनः दिनांकः 14, अक्टूबर, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, को इस आशय से कि व्यय वित्त समिति के अनुमोदन को राज्य योजना आयोग की वेबसाइट में अपलोड करें।

आज्ञा से,

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव